निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 70 वर्ष 2018-19

यह निरीक्षण प्रतिवेदन **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड** के माह **06/2017 से 10/2018** तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0, श्री मनीष श्रीवास्तव, स0ले0प0 अधि0 तथा श्री गौरव रावत, लेखा परीक्षक द्वारा श्री जगमोहन सिंह रावत, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, के पर्यवेक्षण में दिनांक **01.11.2018 से 17.11..2018** तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री आर.एन.यादव, श्री डी.के. मट्टू एवं श्री राजेश डोभाल, सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 06/06/2017 से 17/06/2017 तक श्री नीरज चुंगू वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमे माह 02/2016 से 05/2017 तक के लेखा अभिलेखो की जांच की गयी।
   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2017 से 10/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी ।

(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड** में लोक निर्माण विभाग के निर्माण एवं रख-रखाव के कार्य/ कार्य क्षेत्र वृत्त- टिहरी एवं उत्तरकाशी

इकाई को बजट आंवाटन- उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिया जाता है |

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:-

(` लाख मे)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2016-17	_	_	506.60	506.60	2188.04	2165.43	0.51	
2017-18	_	-	659.83	639.88	3140.46	2975.52		89184.
2018-19 (upto 09/2018)		-	539.36	381.65	1866.79	1319.19		705.31

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः (धनराशि लाख रु. में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
2015-16	**शून्य**				
2016-17					
2017-18)					
2018-19					

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई **"ए"** श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. सचिव
2. प्रमुख अभियंता
3. मुख्य अभियंता
4. अधीक्षण अभियंता
5. अधिशासी अभियंता

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड** को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु अधिक व्यय के आधार पर चयनित किया गया। विस्तृत जांच हेतु लेखापरीक्षा अवधि मे अधिक व्यय के आधार पर " उत्तरकाशी के चिनियाली सौंड मे इंद्रा-टिपरी हल्का वहाँ मार्ग का चौडीकरण एवं डामरीकरण निर्माण" का चयन किया गया।

1. लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा से अब तक की अवधि मे दिनांक ..... से ..... का निरीक्षण किया गया।
3. खंड के भडार लेखो की अर्धवार्षिकी लेखाबन्दी माह **12/2010** तथा यंत्र-सयन्त्र लेखो की वार्षिक लेखाबन्दी माह **03/2016** तक की गयी।
4. फार्म-51 माह **10/2018** तक कार्यालय महालेखाकार (ले0 एवं ह0) उत्तराखंड देहारादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं दितीय के अवशेष निम्नवत है : .

   भाग प्रथम:.. रु (-) 1439184.00

   भाग दितीय: रु 1061365.00

5॰ खंड के उच्यंत लेखो का अवशेष माह **10/2018** के अंत मे

(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम : ` 59.79 lakh

(ख) रु सामग्री क्रय : रु 0.00

(ग) नगद परिशोधन : ` 0.00

(घ) निक्षेप : रु 19621865.00

(ङ) भंडार : ` 54343.00

भाग-II (ब)

प्रस्तर-1 : वित्तीय स्वीकृति नियमावली के विपरीत वित्तीय स्वीकृति से अधिक व्यय करते हुये अनुबंध समाप्ती तिथि के एक वर्ष बाद भी अनुबंध का अंतिमिकरण न होना ।

उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तरकाशी के विकासखंड चिन्यालीसौंड मे इंद्रा-टिपरी हल्का वाहन मार्ग का चौडीकरण एवं डामरीकरण कार्य (मार्ग लंबाई 6.50 किमी) हेतु रु 499.41 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी (मार्च 2016) जिसकी प्राविधिक स्वीकृति उक्त धनराशि हेतु ही प्रदान की गयी (अगस्त 2016)। कार्य के निष्पादन हेतु कुल 13 अनुबंध (संलग्नानुसार) कुल रु 334.29 लाख हेतु गठित की गयी जिसके अनुसार कार्य समाप्त होने की तिथि माह अगस्त 2017 थी। फार्म-64 (सितम्बर 2018 के अनुसार) कार्य पर कुल व्यय रु 517.23 लाख था ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, चिन्यालीसौड के अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे (नवम्बर 2018) पाया गया कि खंड द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका नियमावली वाल्यूम -VI के विपरीत वित्तीय स्वीकृति रु 499.41 लाख से रु 17.82 लाख अधिक रु 517.23 लाख व्यय किया गया अपितु विस्तृत आगणन मे प्राविधानित 08 items (संलग्नानुसार)। जिनकी लागत रु 113.87 लाख थी, को न तो अनुबंध मे शामिल किया गया था और न ही execute कराया गया गया था। इसके अतिरिक्त अनुबंध स0 87/EE, 89/EE, 93/EE, 94/EE & 96/ EE के अंतर्गत PC/Sealcoat के कार्य भी नहीं निष्पादित किए गए थे।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे बताया गया कि मार्ग पूर्व मे हलका वाहन मार्ग था जिस पर अतिरिक्त पहाड़ कटान का कार्य करने , ग्रामीणो के मकानो की सुरक्षा दीवार, रास्ते, पाइप लाइन एवं सिंचाई गुलों मे अतिरिक्त कार्य कराने से वृद्धि हुई जिसकी स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न अनुबन्धो (उपरोक्तानुसार) के तहत PC/Sealcoat का कार्य न कराये जाने के बारे मे खंड द्वारा बताया गया कि सभी जाबों पर PC/Sealcoat का कार्य कराया गया है जिनका भुगतान शेष है तथा 15% अधिक व्यय की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त की गयी है।

खंड का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वित्तीय स्वीकृति से अधिक के व्यय हेतु शासन की स्वीकृति प्राप्त की जानी चाहिए थी जो अप्राप्त थी। इसके अतिरिक्त विभिन्न अनुबन्धो के अंतर्गत PC/Sealcoat का कार्य जिसे बाद मे कराये गए और जिनका भुगतान होना शेष था, उक्त व्ययाधिक मे वृद्धि सुनिश्चित थी।

अतः खंड द्वारा वित्तीय स्वीकृति नियमावली का उल्लंघन करते हुये वित्तीय स्वीकृति रु 499.41 लाख से अधिक व्यय रु 517.23 लाख का व्यय किया गया अपितु अनुबंध समाप्ती तिथि के एक वर्ष बाद भी उसका अंतिमिकरण नहीं किया जा सका था, का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II (ब)

प्रस्तर-2 : बिना उचित आगणन के स्वीकृति प्राप्त कर कार्य के निष्पादन मे रु 88.02 लाख का अनियमित व्यय

उत्तराखंड शासन द्वारा यमुनोत्री के विकासखंड चिन्यालीसौंड मे चिन्यालीसौंड-जोगथ मार्ग का 30.70 किमी लंबाई मे पीसी/सिलकोट के कार्य हेतु रु 350.36 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी (फरवरी 2014)। किन्तु विश्व बैंक,लो0 नि0वि0,उत्तरकाशी के द्वारा उक्त मार्ग लंबाई के 20.70 किमी मे हॉट मिक्स से लेपन कराये जाने के कारण उक्त पर मार्ग पर समरूपता लाने हेतु खंड के आवेदन पर शासन द्वारा उपरोक्त कार्य का नाम परिवर्तित कर "यमुनोत्री के विकासखंड चिन्यालीसौंड मे चिन्यालीसौंड-जोगथ मार्ग का BM/SDBC द्वारा सुदृढीकरण (किमी 21.70 से किमी 31.70) कर दिया गया (अक्तूबर 2014) जिसके सापेक्ष उक्त धनराशि हेतु ही प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी (दिसंबर 2016)। कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध (02/SE-06/2017-18 दिनांकित 15.04 2017) रु 295.13 लाख हेतु गठित की गयी जिसके अनुसार अनुबंध समाप्ती की तिथि 14.04.2018 थी। फार्म-64 (सितंबर 2018 के अनुसार) कार्य पर कुल व्यय रु 346.01 लाख था।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, चिन्यालीसौड के अभिलेखो की लेखापरीक्षा मे (नवम्बर 2018) पाया गया कि खंड द्वारा जिस मार्ग पर (30.70 किमी) PC/Sealcoat का कार्य कराने हेतु स्वीकृति प्राप्त की गयी थी उसी मार्ग पर किसी अन्य संस्था द्वारा BM/SDBC का कार्य आंशिक रु (20.70 किमी) किए जाने के कारण खंड द्वारा BM/SDBC का कार्य बिना traffic Census एवं CBR Value का आकलन किए मात्र 10 किमी मार्ग पर BM/SDBC के कार्य की स्वीकृति प्राप्त की गयी अपितु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त किए जाने हेतु तैयार किए गए Prelimanary Estimate मे आगणित 13 items के सापेक्ष विस्तृत आगणन मे 22 मदों का प्रविधान किया गया और scupper इत्यादि जैसे आवश्यक कार्य न करते हुये मात्र 07 items के ही कार्य करते हुये रु 257.99 लाख का भुगतान किया गया । इसके अतिरिक्त खंड द्वारा फार्म-64 (माह अक्तूबर 2018 के अनुसार) व्यय रु 346.01 लाख दर्शाया गया था जबकि अनुबंध का अंतिमिकरण वर्तमान तक भी नहीं किया गया था। और उसकी बैंक गारंटी भी expire हो चुकी थी।

उक्त की ओर इंगित किए जाने पर खंड द्वारा उत्तर मे traffic census एवं CBR value का आंकलन न किए जाने को स्वीकार्य करते हुये बताया गया कि पहले मार्ग PC/Sealcoat मे स्वीकृति था जिसे बाद मे बीएम/एसडीबीसी से कार्य कराने हेतु अधिक दरे होने की संभावना के कारण कुछ मदों को नहीं लिया गया था किन्तु बाद मे स्थल की आवश्यकता अनुसार ही कार्य निष्पादित कराया गया एवं कार्य के मदों मे हुई विचलन की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से स्वीकृत होना अपेक्षित है। 3rd रनिंग बिल एवं फार्म-64 की धनराशि मे अंतर रु 88.02 लाख के संबंध मे खंड द्वारा बताया गया कि उक्त व्यय scupper/parapet/drain इत्यादि के कार्य कराने मे व्यय की गयी।

खंड के उत्तर से स्वत स्पष्ट है की खंड द्वारा मार्ग के निर्माण के पूर्व न तो सही आगणन किया गया था और न ही कार्य मे विचलन की स्वीकृति प्राप्त थी जबकि अगस्त 2017 के उपरांत मार्ग पर कोई कार्य भी नहीं कराया गया था। इसके अतिरिक्त अनुबंध के बिलो के भुगतान एवं फार्म-64 कि धनराशि मे अंतर रु 88.02 लाख व्यय से संबन्धित कोई साक्ष्य लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे।

अतः खंड द्वारा बिना उचित आगणन किए स्वीकृति प्राप्त कर कार्य के निष्पादन एवं रु 88.02 लाख के अनियमित का व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारिओ के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर -3 : कार्य निष्पादन में अनियमितता रू॰ 2.86 करोड़।

चिन्यालीसौड़ विकास खण्ड के अंतर्गत धरासु पुल दिखोली से अदनी रौतल मोटर मार्ग के डामरीकरण की स्वीकृति माह मई 2014 में रू॰ 475.35 लाख की प्रदान की गई थी एवं प्राविधिक स्वीकृति माह फरवरी 2015 में रू॰ 475.37 लाख मुख्य अभियन्ता स्तर -2 द्वारा प्रदान की गई थी।

निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड की लेखापरीक्षा (माह नवम्बर 2018) में पाया गया कि उक्त कार्य के निष्पादन हेतु एक अनुबंध गठित किया गया जिसके अनुसार कार्य दिनांक 24.06.2015 को प्रारम्भ किया गया था व मासिक लेखे (10/2018) के अनुसार रू॰ 4.35 करोड़ व्यय होने के बाद भी कार्य अपूर्ण था जबकि अनुबन्ध के सापेक्ष माह 07/2018 तक कुल रू॰ 2.86 करोड़ का भुगतान किया जा चुका था। उपरोक्त कार्य के निष्पादन के दौरान निम्न अनियमितताएँ पायी गई ।

1. अनुबन्ध के अनुसार कार्य दिनांक 23.06.2016 तक समाप्त होना था किन्तु 03 वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत होने के बाद भी कार्य अपूर्ण तो था ही साथ ही ठेकेदार के विरुद्ध अनुबन्ध के शर्तो के अनुसार अर्थदण्ड भी आरोपित नहीं किया गया था।
2. रू 475.35 लाख का कार्य होने के बावजूद अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की गई जो अनियमित था व प्राविधिक स्वीकृति मिलने (फरवरी 2015) से पूर्व ही माह दिसम्बर 2014 में निविदा आमंत्रित कर दी गई थी।
3. प्राविधिक स्वीकृति अर्थात स्वीकृत आगणन के अनुसार कुल 21 मदों पर कार्य होना था किन्तु अनुबन्ध गठित करते समय ठेकेदार से negotiation के बाद मात्र 13 मदों का ही अनुबन्ध गठित किया गया।
4. ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत की गयी bank grantee दिनांक 14.11.2018 तक वैध थी किन्तु लेखापरीक्षा अवधि तक इसे नवीनीकरण (extend) करने हेतु कार्यवाही नहीं की गई।
5. रू 475.35 लाख की स्वीकृति के सापेक्ष कुल रू॰ 435 लाख का व्यय किया जा चुका था जबकि लेखापरीक्षा माह तक कुल 8 किमी लंबाई के सापेक्ष मात्र 5.50 किमी पर ही कार्य किया गया था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर खण्ड द्वारा बतलाया गया कि समय पर कार्य समाप्त करने के उद्देश्य से प्राविधिक स्वीकृति के पूर्व अल्पकालिक निविदा आमंत्रित की गयी, अनुबन्ध के शर्तो के अनुसार कार्यवाही की जाएगी, शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा एवं बैंक गारंटी की शीघ्र नवीनीकरण किया जायेगा।

खण्ड का जवाब लेखापरीक्षा को मान्य नहीं था क्योंकि यदि प्राविधिक स्वीकृति मिलने से पूर्व निविदा करने का कारण कार्य को जल्दी पूर्ण करना था तो 03 वर्ष बाद भी कार्य पूर्ण क्यों नहीं किया जा सका था। ठेकेदार के विरुद्ध समय से कार्य समाप्त न करने पर अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही किया जाना बतलाया गया किन्तु 03 वर्ष बाद भी कार्यवाही न करना साबित करता है कि खण्ड प्रकरण पर गंभीर नहीं है। बैंक गारंटी का समय से नवीनीकरण न किया जाना शासकीय हितो के प्रति खण्ड की लापरवाही दर्शाती है।

अतः कार्य निष्पादन में अनियमितता रू॰ 2.86 करोड़ एवं समय पर कार्य न पूर्ण करने के कारण ग्रामीणो को यातायात की सुविधा से वंचित रखने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग 2 (ब)

प्रस्तर-4 : वित्तीय नियमों की अवहेलना कर रू॰ 78.79 लाख के अनुबन्ध गठित करना।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अनुसार मात्र रू॰ 2.50 लाख तक के कार्य ही कोटेशन के आधार पर कराये जा सकते है। इससे अधिक के कार्य निष्पादन हेतु निविदा प्रक्रिया अपनानी चाहिए।

जनपद उत्तरकाशी के विधानसभा क्षेत्र यमुनोत्री के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ के अंतर्गत गड़थ सम्पर्क हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कार्य हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या 1147/III (2)/16/-02/(एम एल ए)/ 2015 टी सी दिनांक 22.03.2016 व तकनीकी स्वीकृति मुख्य अभियंता (टि क्षे) के पत्रांक 9002/05(6)- चिन्यालीसौड़ –(टी एस)-टिहरी/16 दिनांक 17.10.2016 द्वारा लंबाई किमी 5.05 हेतु कुल लागत 290.00 लाख की प्राप्त हुई।

खण्ड की लेखापरीक्षा (अक्टूबर 2018) में पाया गया कि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली का उलंघन कर गड़थ सम्पर्क हल्का वाहन मार्ग का मोटर मार्ग में परिवर्तन कार्य का निष्पादन करने में **रू॰ 78.79 लाख** के कार्य कोटेशन के आधार 11 अनुबन्ध गठित कर निष्पादित कराये गए जिनका विवरण निम्न तालिका-1 में दिया गया है:

तालिका -1 कोटेशन के आधार पर गठित अनुबन्धो का विवरण

क्रम संख्या	अनुबंध संख्या	दिनांक	अनुबंधित लागत	आगणन लागत
1	87/AE-1	19.08.2017	830610	839000
2	88/AE-1	19.08.2017	689040	696000
3	89/AE-1	19.08.2017	698940	706000
4	90/AE-1	19.08.2017	703890	711000
5	91/AE-1	19.08.2017	698788	705847
6	92/AE-1	19.08.2017	627660	634000
7	93/AE-1	19.08.2017	651420	658000
8	94/AE-1	19.08.2017	910425	915000
9	95/AE-1	19.08.2017	703890	711000
10	12/AE-1	07.05.2018	593881	596866
11	183/AE-1	03.03.2018	699603	706669
योग			**7808147**	**7879382**

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अपनी आख्या में बताया कि मार्ग पर कोटेशन के आधार पर कार्य करने हेतु सामाग्री एवं मजदूरी की दरों में हो रही अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुये समय पर कार्य पूर्ण करने हेतु वित्तीय हस्तपुस्तिका में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुये न्यूनतम दरो का अनुमोदन सक्षम अधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात ही चयन के आधार पर अनुबन्ध गठित किए गए है। खण्ड का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि निविदा प्रक्रिया अपनाने में मात्र एक माह का समय लगता और अनुबन्ध तकनीकी स्वीकृति (अक्टूबर 2016) प्राप्त होने के 11 माह बाद (अगस्त 2017) गठित किए गए। साथ ही अनुबंध 183/AE-1 कोटेशन के प्राप्त होने के सात माह बाद गठित किया गया। इससे प्रतीत होता है कि खण्ड को कार्य पूर्ण करने की कोई भी जल्दी नहीं थी।

अतः वित्तीय नियमों की अवहेलना कर रू॰ 78.79 लाख के अनुबन्ध गठित करने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
66/2010-11	1,2,3,4,5	-
09/2012-13	1	-
113/2015-16	-	1,2,3,4,5
12/2017-18	-	1,2,3,4,5,6,7

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
Nil				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.....Nil.....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः माप पुस्तिका संख्या - 94L**
2. **सतत् अनियमितताएः**
   (i) शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	पदनाम	**अवधि**
श्री डी0 के0 बिष्ट	**अधिशासी अभियंता**	**11.09 2017 तक**
श्री सी0एस0 रावत	**अधिशासी अभियंता**	**11.09.2017 से वर्तमान तक**

4. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित खंडीय लेखाधिकारी खंड से सम्बद्ध रहे-**

नाम	पदनाम	
श्री धीरेंद्र कुमार		
श्री प्रशांत किमोठी	**upto 01.01.2018**	
श्री आवेश	**02.01.2018 से वर्तमान तक**	

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ (आर्थिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी

आर्थिक क्षेत्र -2